<u>न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं</u>

पीठासीन अधिकारी :– यू0डी0 खान
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 41/2020

रामोतार मीणा, ग्रा0पो0 भूडन्दा खुर्द, तहसील व जिला झुंझुनूं

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) झुंझुनूं

– –

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

<u>आदेश</u>

दिनांक 19.08.2020

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 15.07.2020 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 41/2020 पर दिनांक 15.07.2020 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) झुंझुनूं के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) झुंझुनूं को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) झुंझुनूं से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2020/721–722 दिनांक 15.07.2020 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) झुंझुनूं ने पत्रांक आरटीआई/2020/64 दिनांक 17.08.2020 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आवेदक द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सूचना चाही गई थी जिससे स्पष्ट नही हो रहा था कि प्रार्थी द्वारा क्या सूचना चाही गई है। अतः प्रार्थी को कभी भी कार्यालय समय मे कार्यालय मे उपस्थित होकर रिकार्ड का अवलोकन करने हेतु अपीलार्थी को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक आरटीआई/2020/1361 दिनांक 07.08.2020 के द्वारा प्रार्थी को अवगत कराया जा चुका है। प्रार्थी द्वारा कार्यालय मे उपस्थित होने पर रिकार्ड का अवलोकन करवाकर प्रार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध करवा दी जावेगी। अतः प्रथम अपील का जबाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील निरस्त फरमाने की कृपा करे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नही।
6. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) झुंझुनूं द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी को उनके कार्यालय के पत्रांक आरटीआई/2020/64 दिनांक 17.08.2020 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आवेदक द्वारा सूचना का अधिकार

जिला कलेक्टर झुन्झुनू

अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सूचना चाही गई थी जिससे स्पष्ट नही हो रहा था कि प्रार्थी द्वारा क्या सूचना चाही गई है। अतः प्रार्थी को कभी भी कार्यालय समय मे कार्यालय मे उपस्थित होकर रिकार्ड का अवलोकन करने हेतु अपीलार्थी को उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक आरटीआई/2020/1361 दिनांक 07.08.2020 के द्वारा प्रार्थी को अवगत कराया जा चुका है। प्रार्थी द्वारा कार्यालय मे उपस्थित होने पर रिकार्ड का अवलोकन करवाकर प्रार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध करवा दी जावेगी। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।

7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 19.08.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यू0डी0 खान)
जिला कलक्टर, झुंझुनू
जिला कलेक्टर झुन्झुनू
19/8/20